



2026:AHC:175395

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या**

**- 6602 वर्ष 2026**

सौरव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विनोद सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 72**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,**

1. आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 1171 वर्ष 2020, धारा 307, 325, 323, 504 एवं 302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलन्दशहर में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई दूसरी अग्रिम जमानत आवेदन है।
4. प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन, जो आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 10198 वर्ष 2025 था, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 04.05.2026 के आदेश के माध्यम से अभियोजन के अभाव में निरस्त कर दिया गया था।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना दिनांक 16.11.2020 के संबंध में प्राथमिकी दिनांक 05.12.2020 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी आवेदक, सह-अभियुक्त पवन, नीरज एवं राजकुमार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 1171 वर्ष 2020, धारा 307, 325 एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलन्दशहर में दर्ज की गई थी। आवेदक को विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा दिनांक 21.01.2021 को गिरफ्तार किया गया था और उसने जमानत के लिए आवेदन किया था। उसकी जमानत अर्जी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 15364 वर्ष 2021 में पारित दिनांक 15.06.2021 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर ली गई थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में आरोपपत्र दिनांक 28.01.2021 को धारा 307, 325, 323 एवं 504 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, मृतक की मृत्यु के बाद विवेचक द्वारा धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता जोड़ी गई। विवेचक की अनुपूरक आख्या के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत भी कार्यवाही की गई। सह-अभियुक्त पवन एवं राजकुमार ने जोड़ी गई धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। हालांकि, उनकी अग्रिम जमानत अर्जियां संबंधित विद्वान न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गईं। उन्होंने इस न्यायालय का रुख किया, लेकिन सह-अभियुक्त पवन द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 8815 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 12.12.2025 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार, सह-अभियुक्त राजकुमार की अग्रिम जमानत अर्जी भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा निरस्त कर दी गई। आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त पवन एवं राजकुमार दोनों ने क्रमशः एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 2030/2026 एवं 2264/2026 दाखिल कीं, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2026 के सामान्य आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया। आगे तर्क दिया गया है कि जोड़ी गई धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15.05.2026 के आदेश द्वारा सह-अभियुक्त पवन एवं राजकुमार को अग्रिम जमानत प्रदान की है। अतः प्रार्थना की गई है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.05.2026 के आदेश के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दृष्टिगत आवेदक की वर्तमान अग्रिम जमानत अर्जी भी स्वीकार की जाए। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त पवन एवं राजकुमार के मामले के समान है। दो मामलों के आपराधिक पूर्ववृत्तों को आवेदक द्वारा अनुपूरक शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर ली गई है, अतः आवेदक से अभिरक्षा में पूछताछ किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भाद्रेश बिपिनभाई शेठ बनाम गुजरात राज्य एवं एक अन्य, जो 2016 (1) एस.सी.सी. (आपराधिक) 240 में प्रतिवेदित है तथा मनोज सुरेश जाधव एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो 2018 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3428 में प्रतिवेदित है**, में दिए गए निर्णयों पर अत्यधिक भरोसा किया है, जिसमें वहां के आवेदक को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत नियमित जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात जोड़ी गई धाराओं के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता संख्या 9742 वर्ष 2021 में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया है**, जिसमें अभियुक्त को नियमित जमानत प्रदान किए जाने के पश्चात अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

7. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

9. **अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई., (2022) 13 एस.सी.सी. 764 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:**

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



"11. उपर्युक्त का पठन करने से स्पष्ट होता है कि यह धारा 170 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसे निर्धारित किया गया है। मजिस्ट्रेट या संज्ञान लेने अथवा अभियुक्त का विचारण करने के लिए सशक्त न्यायालय को आरोपपत्र तत्काल स्वीकार करना होगा और धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। यह सही रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से समन की प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए, न कि गिरफ्तारी आदेश। यदि वह गिरफ्तारी आदेश जारी करने के विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे धारा 87 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिकल्पित कारणों को अभिलिखित करना होगा कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा अथवा उसे समन की सम्यक तामील का प्रमाण होने के बावजूद उपस्थित होने से इनकार किया है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उप-प्रस्तर (iii) में की गई टिप्पणियां सावधानी के स्वरूप में हैं।

12. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है और धारा 170 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों का संबंध है, सबसे उपयुक्त टिप्पणियां उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-प्रस्तर (v) में उस अभियुक्त के संदर्भ में हैं, जो गैर-जमानतीय अपराध में है और जिसकी अभिरक्षा विवेचना की अवधि के दौरान आवश्यक नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में, यह उचित है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि विवेचना के दौरान उसकी गिरफ्तारी न किया जाना अथवा उसे अभिरक्षा में प्रस्तुत न किया जाना स्वयं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इसका आधार संक्षेप में यह निर्धारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से रिहा और स्वतंत्र रहा है तथा विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो केवल इस कारण कि आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है, अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना और उसे कारागार में निरुद्ध करना जमानत प्रदान करने के लिए लागू सिद्धांतों के विपरीत होगा। हम इससे अधिक सहमत नहीं हो सकते।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. अतः अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में, यह आवेदक को मामले में विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है।

11. तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त मामले में सम्मिलित आवेदक- **सौरव** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के दो जमानतदारों के साथ रु.50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष विचारण के प्रयोजन से जब भी आवश्यक हो, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

12. किसी भी शर्त के उल्लंघन या दुरुपयोग की स्थिति में, शासकीय अधिवक्ता/विवेचक/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 अगस्त, 2026

राधिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।